भीम

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः प. 3(5)पपा/2021

जयपुर, दिनांकः 8/10/2021

आदेश

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि पशुपालन विभाग के अनेक अधिकारी/कार्मिक अपने मूल पदस्थापन स्थान से राजकीय विभागों/कार्यालयो/उपक्रमां/स्वायत्तशाषी निकायों एवं अन्य विभागीय कार्यालयों/संस्थाओं मे कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर बिना सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति के कार्यरत है, की कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्त/बिना कार्यमुक्त होकर अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर निदेशक, पशुपालन विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मूल पदस्थापन स्थान से स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।

आदेश से,

(लक्ष्मीकान्त बालोत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिशिचित करावें।
4. संबंधित अति0 निदेशक (क्षैत्र)/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/नियंत्रण अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की व्यक्तिशः पालना सुनिशिचित करावें साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति आदेश भविष्य में प्रसारित नहीं किये जावें।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक पालनार्थ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

D:/Ashish/A4 Latter